OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES GOVT. OF NCT OF DELHI 9TH LEVEL, C-WING, DELHI SACHIVALAYA I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F. No. PA/AD/LB/2014/ 7995-99

Dated 20-11-2017

To

- The Commissioner, North Delhi Municipal Corporation, Dr. SPM Civic Centre, New Delhi.
- The Commissioner, South Delhi Municipal Corporation, Dr. SPM Civic Centre, New Delhi.
- 3. The Commissioner, East Delhi Municipal Corporation, Udyog Sadan, Patparganj, Delhi.

Sub: Amendment of Recruitment Rules for the post of Assistant Public Health Inspector for three Municipal Corporations

Sir.

I am directed to find enclosed herewith Notification for amendment of Recruitment Rules for the post of Assistant Public Health Inspector for three Municipal Corporations which has been notified in Govt. Gazette on 08.11 2017 vide this office Notification No F4 (1)/RR./LB/2013/CD No 000199626/7635-42 under Section 98 & 480 of DMC Act 1957 for taking necessary action.

Yours faithfully,

Encls: (As above)

(PAWAN CHOPRA)

DY.DIRECTOR (LOCAL BODIES)

F. No. PA/AD/LB/2014/

Dated:

Copy for information and necessary action:

 Shri Manoj Kumar, Under Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi.

2. The Programmer, Urban Development Department, Govt of NCT of Delhi, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi.

(PÁWAN CHOPRA)
DY.DIRECTOR (LOCAL BODIES)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर १, 2017/कार्तिक 18, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 318

No. 402]

DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939

[N.C.T.D. No. 318

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भाहरी विकास विमाग

अधिसूचना

दिल्लीः ८ नवम्बर, 2017

सं0फा0 4(1)/आरआर/एलबी/2013/सीडी सं0 000199626/7635-42.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 98 तथा 480 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या फा0 4(1)/आरआर/एलबी/2013/3870-75 के द्वारा अधिसूचित उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम, 2014 में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद हेतू भर्ती विनियमों में आगे संभागेधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात:—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंम :- (1) इन विनियमों को उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक, (सं'ोधन) के पद हेत् भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम, 2014 में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद हेतु भर्ती विनियमों में, नियम 2 में "पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान" भाव्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" भाव्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में, कॉलम 4 में कॉलम भीर्शक तथा इससे संबंधित प्रविश्टियों के स्थान पर निम्नलिखित कॉलम भीर्शक तथा प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात :--

येतन मैट्रिक्स में स्तर 4 स्तर'4 (25500–81100 / -रुपये) (ख) कॉलम 11 में, विद्यमान प्रविशिटयों के स्थान पर निम्निलखित प्रविशिटयों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :- "मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक डिप्लोमा रखने वाले जनस्वास्थ्य संवर्ग में 11 वर्शों की नियमित सेवा सिंहत पे मैट्रिक्स (18000–58900 / -रुपये) के स्तर-1 के ग्रेड में से पदोन्नित।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

पवन चोपडा, उप निदेभाक, स्थानीय निकाय,

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 8th November, 2017

No.F.4(1)/RR/LB/2013/CD-000199626/7635-42—In exercise of the powers conferred by sections 98 and 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following regulations further to amend the recruitment regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014 notified vide No. F.4(1)/RR/LB/2013/3870-75 dated Delhi, the 14th August 2014, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These regulations may be called Recruitment Regulations for the
 post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations
 (Amendment), 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. In the Recruitment Regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014, in rule 2 for the words "Pay Band and Grade pay/scale of Pay", the words "Level in Pay Matrix" shall be substituted.
- 3. (a) In the Schedule annexed to the said Regulations, in column 4 for column heading and the entries relating thereto, the following columns heading and entries shall be substituted, namely:-

Level in Pay Matrix	
4	
Level 4 (Rs 25500-81100).	

(b) In column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely:- "Promotion from the grade in Level-1 of Pay Matrix (Rs.18000-56900) with eleven years of regular service in Public Health Cadre having, Sanitary Inspector Diploma from recognized Institute".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN CHOPRA, Dy. Director (Local Bodies)

RAKESH SUKUL Date: 2017.11.14 23:06:07

(To be published in Delhi Gazette Extra Ordinary Part-IV)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT) 9th LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT IP ESTATE, NEW DELHI

No.F.4(1)/RR/LB/2013/CD-000199626/7635-42

Dated the .08-11-2017

NOTIFICATION

No.F.4(1)/RR/LB/2013/CD-000199626/
- In exercise of the powers conferred by sections 98 and 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following regulations further to amend the recruitment regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014 notified vide No. F.4(1)/RR/LB/2013/3870-75 dated Delhi, the 14th August 2014, namely:-

- Short title and commencement.-(1) These regulations may be called Recruitment Regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations (Amendment), 2017.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- In the Recruitment Regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014, in rule 2 for the words "Pay Band and Grade pay/scale of Pay", the words "Level in Pay Matrix" shall be substituted.
- (a) In the Schedule annexed to the said Regulations, in column 4 for column heading and the entries relating thereto, the following columns heading and entries shall be substituted, namely:-

Level in Pay Matrix	
4	
Level 4 (Rs 25500-81100).	

(b) In column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely:- "Promotion from the grade in Level-1 of Pay Matrix (Rs.18000-56900) with eleven years of regular service in Public Health Cadre having, Sanitary Inspector Diploma from recognized Institute".

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Pawan Chopra)
Deputy Director (Local Bodies)

Copy forwarded to the:-

- 1. The Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.
- 2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Secretary to the Minister (UD)/Local Bodies, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. The Principal Secretary (L.J&L,A), Govt of NCT of Delhi.
- 5. Director (Local Bodies), Govt. of NCT of Delhi.
- 6. Municipal Commissioners, North, south and East Delhi Municipal Corporations.
- 7. The Dy. Secretary (GAD), Co-ordination Branch through their Email gadegazette.delhi@gov.in in Hindi and English, for the publication in Delhi Gazette, Part-IV Extraordinary of today's date.
- 8. Programmer, UD Deptt. to upload at Local Bodies Website.

(Pavan Chopra)

Deputy Director (Local Bodies)

(दिल्ली राजपत्र के भाग-IV असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(शहरी विकास विभाग)

सं0फा0 :4(1)/आरआर/एलबी/2013/सीडी सं0 000199626/7625-42

दिनांक: 0.8-1.1 2017

अधिसूचना

संठफाठ :4(1)/आरआर/एलबी/2013/सीडी संठ 000199626/ :— दिल्ली नगर निगम अधिनयम, 1957 की धारा 98 तथा 480 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्यां फाठ 4(1)/आरआर/एलबी/2013/3870-75 के द्वारा अधिसूचित उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम, 2014 में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद हेतु भर्ती विनियमों में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक, (संशोधन) के पद हेतु भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम, 2014 में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद हेतु भर्ती विनियमों में, नियम 2 में "पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में, कॉलम 4 में कॉलम शीर्षक तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित कॉलम शीर्षक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :--

वेतनः	मैट्रिक्स में स्तर .
(Constant)	4
स्तर'4	(2550081100 / -रुपये

(ख) कॉलम 11 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :- "मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक डिप्लोमा रखने वाले जनस्वास्थ्य संवर्ग में 11 वर्षों की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिक्स (18000–56900/–रुपये) के स्तर–1 के ग्रेड में से पदोन्नित।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनको नाम पर

(भवन चोपड़ा)

उप निदेशक, स्थानीय निकाय,

संवकाठ :4(1)/आरआर/एलबी/2013/सीडी संव व्यव199626/न ६%५-४२ दिनांक १०.८.।।.- 2017 प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :--

ा. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार !

- 3. सचिव, मंत्री शहरी विकास / स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
- 4. प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
- 5. निदेशक (स्थानीय निकाय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

6. निगम आयुक्त, उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व, दिल्ली नगर निगम।

7. उप-सचिव (साठप्र०वि०), समन्वय शाखा को उनके ई-मेल gadegazette.delhi@gov.in के माध्यम से दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में आज की तिथि में प्रकाशनार्थ।

8. प्रोग्रामर, शहरी विकास को स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू।

(प्रवन चोपड़ा) उप निदेशक, स्थानीय निकाय.

GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE DIRECTOR LOCAL BODIES

9TH LEVEL, A-WING, DELHI SACHIVALYA, INDERPRASTH ESTATE
NEW DELHI-110002

CERTIFICATE

Sub: <u>Motification of RRs for the post of Assistant Public Health Inspector in Morth, South and East Delhi Municipal Corporation of Delhi.</u>

Notification No.F.4(1)/RR/LE/2013/CD-000199626 3635-42 Dated 08.11.2017 in English and Hindi version has been emailed in MS Word in proper format to gadegazette. delni@gov.in from email id ddlbud2015@gmail.com. The contents of hard copy and soft copy are the same of the notification.

The notification has been issued with the approval of Competent Authority.

(JANARDAN PRASAD)

Section Officer (Local bodies)

Mob No: 9868154419



GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸੰ. 104] No. 104] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2014/श्रावण 23, 1936

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77

DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014/SRAVNA 23, 1936

[N.C.T.D. No. 77

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विमाग

अधिसूचना

दिल्ली, १४ अगस्त, 2014

सं. फा. 7 (180) / 12 / डी.ओ.एफ.एस. / प्रशा. / 2012 / 7046—7061.—— के परिणाम स्वरूप सक्षम अधिकारी प्रधान सचिव, दिल्ली, द्वारा नियुक्त पदनामिल अधिकारी श्री नित्या नन्द शर्मा को आयुक्त खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 की उप—धारा (1), द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, इन पदनामित अधिकारी को दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समूचे क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन का प्रभारी नियुक्त करते हैं।

के. के. जिन्दल, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2014

No. F. 7 (180)/12/DoFS/Admn/Pt. File/7046-7061.—Consequent upon appointment of Sh. Nitya Nand Sharma as Designated Officer by the Competent Authority i.e. Chief Secretary, Delhi, the Commissioner of Food Safety, Department of Food Safety, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act 2006, further appoints this Designated Officer to be in-charge of Food Safety Administration for the entire area of National Capital Territory of Delhi.

K.K. JINDAL, Commissioner, (Food Safety)

(शहरी विकास विभाग) अधिसूचना

दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

सं.फा. 04(1)/आर.आर/एलबी/2013/3870-75:-दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 98, और 484क (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद के लिये दिनांक 28 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना संख्या 9/9/83-एलएसजी के अनुसार अधिसूचितं विनियमों के अधिक्रमण में, इससे पहले हुई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उत्तरी, दिक्षणी तथा पश्चिमी दिल्ली नगर निगम में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सहायक जन 1. स्वास्थ्य निरीक्षक के पद के भर्ती विनियम, 2014 कहा जाये।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। (2)
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन समूह एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान:-उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इनका वेतन समूह एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :-उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित 3. अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगें।
- अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति 4.
- (क) जिसने किसी ऐसे दयक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
- जिसने जीवित पत्नी/पित के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, (ख) वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि दिल्ली नगर निगम, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY
- 5. छूट प्रदान करने की शक्ति: जहां सरकार का अभिमत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. बचाव :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निवर्तमान सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक
2.	पढों की संख्या		150 (2014)' इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। उत्तरी दिल्ली नगर निगम 57 दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 57 पूर्वी दिल्ली नगर निगम 36
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी ''ग''
4.	पे बैंड एवं योड पे/वेतनमान	:	वैतन समूह−1, 5200-20200/-रुपये + ग्रेड वेतन 1900/-रुपये
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	-	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा		18 से 27 वर्ष के बीच सरकार के अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिये 40 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के प्रत्याशियों के लिये पाँच वर्श और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याणियों के लिये भी तीन वर्ष की छूट नोट-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
	सीयी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	1	अनिवार्यः (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या बोर्ड से हायर सैकेंडरी/सीनियर सैकेंडरी (10+2) या इण्टरमीडिएट। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा

PART IV

3.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नित के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
1.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
0.	भर्ती की पद्धित सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	•	(i) सीधी भर्ती द्वरा १०प्रतिशत; और (ii) पदोन्नित द्वारा १०प्रतिशत
1.	यदि पदोञ्जति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोञ्जति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	,	मान्यताप्राप्त संस्था से सफाई निरीक्षक के हिप्लोमाधारी जन स्वास्थ्य केंडर में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन समूह-1 5200-20200/-रुपरो तथा 1800/-रुपये के ग्रेड वाले की पदोन्नित से।
2.	यदि कोई विभागीय पदोब्जित समिति हो तो इसकी	:	पदोन्नित/स्थाईकरण हेतु ''ग'' वर्गीय विभागीय पदोन्नित समिति में :

लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर आर. पी. मीणा, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय

अपर आयुंक्त (स्वास्क्य)- अध्यक्ष नगर स्वास्त्य अधिकारी - सदस्य निदेशक कार्मिक- सदस्य

प्रशासनिक अधिकारी (जनस्वास्थ्यं)- सदस्य

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 14th August, 2014

No.F.4(1)/RR/LB/2013/3870-75.—In exercise of the powers conferred by Sections 98, 480 and 484A (iii) of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and in supersession of the Regulations notified vide notification No. 9/9/83-LSG dated the 28th April, 1983 for the post of Assistant Public Health Inspector except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following regulations relating to the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, namely:-

- Short title and commencement.-(1) These Regulations may be called the Recruitment Regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

के लिए संघ लोक सेवा

संरचना क्या है?

आयोग का परामर्श लिया जाना है।

13.

- Number of post, classification, pay band and Grade pay/Scale of Pay: The number of the said post, its classification, pay band and Grade pay? Scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Disqualification. - No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be

eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Municipal Corporations of Delhi after prior consultation of Government of National Capital Territory of Delhi may if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing except any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulation with respect.

to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and Grade pay/Pay Scale.	Whether selection or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.
ı	2	3	4	5	6	7
ASSISTANT PUBLIC HEAUTH PNSPECTOR.	(North 57 DMC South 57 DMC East 36 DMC *Subject to variation dependent on workload.	Category 'C'	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay- Rs. 1900.		Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants and employees of Municipal Corporation of Delhi upto 40 years in accordance with the orders and instruction of the Government). Also relaxable for Schedule Caste/Schedule Tribe candidates for five years and three years for Other Backward Caste candidates. NOTE- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candi-dates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	ESSENTIAL:- (i) Higher/Senior Secondary (10+2) or Intermediate from a recognized institution or Board. (ii) Sanitary Inspector Diploma from a recognized institution. Desirable:-Knowledge of Hindi.

Whether age and a education qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	1	Committee exists, what is its composition	Circumstance s in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two Years.	(i) 90% by direct recruitment; and (ii) 10% by promotion.	recognized institution.	Category 'C' Departmental promotion Committee for promotion confirmation consisting of: 1. Additional Commissioner (Health) - Chairman 2. Municipal Health Officer - Member 3. Director Personnel -Member 4. Administrative Officer (Public Health) -Member	Not applicable

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. P. MEENA, Addl. Director of Local Bodies